न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 27/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–23.01.2025

1. निर्मला पत्नी रामदयाल जाति खाती निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. बंशी पिता रामचन्द्र जाति खाती निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. लोकेश पिता रामदयाल जाति खाती निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. विनोद पिता रामदयाल जाति खाती निवासी फतेहगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 78 पुराना 81 खसरा संख्या 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 175 कुल किता 11 कुल रकबा 4.2573 हैक्टेयर वाके ग्राम बिशनुपुरा पटवार मण्डल बिशनपुरा में विरिथत है जो प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी में दर्ज है, जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार क़ाबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि खाता संख्या 69 पुराना 62 खसरा संख्या 101, 75 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6151 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहगढ पटवार मण्डल बिशनपुरा में विस्थित है, जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 निर्मला पत्नी रामदयाल के स्थान पर निर्मला पत्नी दयाला व प्रार्थी संख्या 2 बंशी पिता रामचन्द्र के स्थान पर बंशी पिता चन्द्रा व प्रार्थी संख्या 3 लोकेश पिता रामदयाल के स्थान पर नाबालिग मुकेश पुत्र दयाला व प्रार्थी संख्या विनोद पुत्र रामदयाल के स्थान पर नाबालिग मनोज पुत्र दयाला दर्ज हो रहा है, जबकि प्रार्थीगण के सही नाम निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पिता रामचन्द्र, लोकेश पिता रामदयाल, विनोद पिता रामदयाल है, जो प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, तथा वर्तमान में प्रार्थी लोकेश व विनोद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

बालिग हो चुके है, इसलिए उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आदि में प्रार्थीगण का नाम निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पिता रामचन्द्र, लोकेश पिता रामदयाल, विनोद पिता रामदयाल है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण का नाम निर्मला पत्नी दयाला, बंशी पिता चन्द्रा, नाबालिग मुकेश पिता दयाला, नाबालिग मनोज पिता दयाला दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहे है। तथा प्रार्थीगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है, जबकि प्रार्थीगण के सही नाम निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पिता रामचन्द्र, लोकेश पिता रामदयाल, विनोद पिता रामदयाल है, है तथा पहचान के सभी दस्तावेजात में भी उक्त नाम ही दर्ज है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पिता रामचन्द्र, लोकेश पिता रामदयाल, विनोद पिता रामदयाल है, दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। उक्त नामों के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण के पटवारी हल्का के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 05.01.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमिया के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम निर्मला पत्नी दयाल, बंशी पिता चन्द्रा, नाबालिग मुकेश पुत्र दयाला, नाबालिग मनोज पुत्र दयाला के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर सही नाम निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पिता रामचन्द्र, लोकेश पिता रामदयाल, विनोद पिता रामदयाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवावे। भूमिया ग्राम बिशनपुरा व फतेहगढ पटवार मण्डल बिशनपुरा तहसील हिण्डोली में विस्थित होने श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि वाके ग्राम बिशनपुरा व फतेहगढ के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण का ना निर्मला पत्नी दयाल, बंशी पिता चन्द्रा, नाबालिग मुकेश पुत्र दयाला, नाबालिग मनोज पुत्र दयाला के स्थान पर निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पिता रामचन्द्र, लोकेश पिता रामदयाल, विनोद पिता रामदयाल राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व / 25 / 848 दिनांक :–22.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बिशनपुरा की भूमि खाता संख्या 78, 69 में दर्ज अपने नाम निर्मला पत्नी स्व0 दयाला, बंशी पुत्र चन्द्रा, नाबालिग मुकेश पुत्र दयाला संरक्षक सरपरस्त माता निर्मला, नाबालिग मनोज पुत्र दयाला संरक्षक सरपरस्त माता निर्मला के स्थान पर क्रमशः निर्मला पत्नी रामदयाल, बंशी पुत्री रामचन्द्र, मुकेश पुत्र रामदयाल, मनोज पुत्र रामदयाल शुद्ध करवाना चाहते है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो / मौतबिरान व्यक्तियों व सहखातेदारान द्वारा उक्त खाता नम्बरों में दर्ज सहखातेदार निर्मला पत्नी स्व0 दयाला, बंशी पुत्र चन्द्रा, नाबालिग मुकेश पुत्र दयाला संरक्षक सरपरस्त माता निर्मला, नाबालिग मनोज पुत्र दयाला संरक्षक सरपरस्त माता निर्मला के स्थान पर क्रमशः निर्मला पत्नी दयाला उर्फ रामदयाल, बंशी पुत्री चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र, मुकेश पुत्र दयाला उर्फ रामदयाल, मनोज पुत्र दयाला उर्फ रामदयाल शुद्ध दर्ज किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पति व पिता के सही नाम रामदयाल व रामचन्द्र है, जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक खाता डायरी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र व कार्यालय ग्राम पंचायत थाना का प्रमाण पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थी संख्या 1 के पति का नाम रामदयाल, प्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम रामचन्द्र व प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता का नाम रामदयाल अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

मुताबिक जॉच रिपोर्ट के दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बिशनपुरा पटवार मण्डल थाना के खाता संख्या 78 व 69 में दर्ज सहखातेदार निर्मला पत्नी स्व0 दयाला, बंशी पुत्र चन्द्रा, नाबालिग मुकेश पुत्र दयाला संरक्षक सरपरस्त माता निर्मला, नाबालिग मनोज पुत्र दयाला संरक्षक सरपरस्त माता निर्मला के स्थान पर क्रमशः निर्मला पत्नी दयाला उर्फ रामदयाल, बंशी पुत्री चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र, मुकेश पुत्र दयाला उर्फ रामदयाल, मनोज पुत्र दयाला उर्फ रामदयाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446